न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 31/2021 G.C.M.S. No. 2021/159 दर्ज दिनांक : 29.06.2021

अपीलार्थिगण:

1. हेमसिंह पुत्र दोलसिंह जी उम्र 75 वर्ष जाति राजपूत निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हबताराम पुत्र रूपाजी जाति राजपुरोहित, निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।
2. मांगीलाल पुत्र छोगालाल, जाति जैन निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।
3. किशोरकुमार पुत्र मांगीलाल जाति जैन निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय भू–अभिलेख सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।
5. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा सायला तहसील सायला, जिला जालोर।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.06.2021 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर सायला राजस्व वाद संख्या 33/2018 बअनवान हबताराम बनाम हेमसिंह वगैरह</u>

उपस्थित–

1. श्री मधुसूदन व्यास, श्री सुदर्शन व्यास, श्री समंदरसिंह, श्री उत्तम कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पारसमल बराड़ा, श्री छतराराम, श्री प्रवीण सोलंकी विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 17.01.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.06.2021 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर सायला राजस्व वाद संख्या 33/2018 बअनवान हबताराम बनाम हेमसिंह वगैरह के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने हबताराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सरहद मौजा सायला के चक संख्या 1 पटवार हल्का सायला बी तहसील सायला के वर्तमान खसरा संख्या 2272 रकबा 3.28 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई हैं। जो कि न्यायिक प्रावधानों के विपरीत है। चूंकि राजस्थान में कोरोना के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांक 06.04.2021 से लॉकडाउन अर्थात त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा प्रारंभ कर दिया गया था। उसके अनुसार अलग–अलग समयानुसार उसकी अवधि बढाई जाती रही हैं तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को घर से बाहर आने का बिल्कुल मना कर दिया गया था। अपीलांट 65 साल से अधिक उम्र का वृद्ध व्यक्ति है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या गृह (ग्रुप–7) विभाग क्रमांक प.7(1) गृह–7 2021 दिनांक 23.05.2021 के अनुसार राजस्थान में दिनांक 24.05.2021 सोमवार से प्रातः 5 बजे से दिनांक 08.06.2021 मंगलवार प्रातः 5 बजे तक केवल मात्र कुछ ही कार्यालयों को खोले जाने की अनुमति थीं एवं न्यायालय पूर्णतः बंद रखने की जनसूचना जारी की गई थीं। इस सूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस बात को मानकर चल रहा था कि न्यायालय में कार्यवाही नहीं चल रही हैं। दिनांक 10.06.2021 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा एक परिपत्र क्रमांक राम/न्याय/स्था/प–78/2010/3578 दिनांक 10.06.2021 को जारी किया गया। उसके तहत दिनांक 14.06.2021 से राजस्थान के समस्त राजस्व न्यायालयों को इस परिपत्र के अनुसार कार्य करने के आदेश दिये गये। इसके तहत केवल अतिआवश्यक मामले ही सुनने का आदेश दिया गया था। किसी भी मामले में कोई भी आदेश किसी पक्षकार के विरूद्ध पारित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के आदेश के बाद दिनांक 16.06.2021 को तहसीलदार सायला द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश के विपरीत प्राथमिक डिक्री की पालना में मौका देखा गया। जबकि यह कोई आवश्यक प्रकृति के न्यायिक कार्य की परिभाषा में नहीं आता है। तत्पश्चात मौका देखने के बाद दिनांक 16.06.2021 को जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई उसके अनुसार मौके पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अर्थात रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 का कब्जा नहीं हैं। वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 मौके पर उपस्थित नहीं हुआ है। तहसीलदार द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया, उसमें ए भाग प्रतिवादी अपीलांट का रखा गया तथा बी भाग रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 का रखा गया एवं यह प्रस्ताव दिनांक 16.06.2021 को तैयार कर न्यायालय में भेजे गये तथा इन प्रस्ताव के प्राप्त होते ही उसी दिन डिक्री पारित की गई है तथा एक आपत्ति वकील वादी द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। उस आपत्ति की कोई प्रति वकील प्रतिवादी अर्थात अधिवक्ता रेस्पोंडेंट को नहीं दी गई थीं एवं बिना सुने केवल अभिलेख पर उपस्थिति दर्ज कर तहसीलदार के प्रस्ताव से विपरीत डिक्री पारित कर दी गई तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को जो जमीन दी गई हैं तथा अपीलांट प्रतिवादी का सायला से बागोडा जाने वाले मार्ग पर आना–जाना बिल्कुल रोक दिया गया। इस प्रकार तहसीलदार के प्रस्ताव के विपरीत मनमाने तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा की डिक्री बिना किसी आधार के पारित की गई हैं। तहसीलदार के प्रस्ताव से भिन्न डिक्री पारित करने से पूर्व प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं डिक्री पारित कर दी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री को अपास्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि राजस्थान में कोरोना के कारण दिनांक 06.04.2021 से लॉकडाउन अर्थात त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा प्रारंभ कर दिया गया था। उसके अनुसार अलग–अलग समयानुसार उसकी अवधि बढ़ाई जाती रही हैं तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को घर से बाहर आने का बिल्कुल मना कर दिया गया था। अपीलांट 65 साल से अधिक उम्र का वृद्ध व्यक्ति है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या गृह (ग्रुप–7) विभाग क्रमांक प.7(1) गृह–7 2021 दिनांक 23.05.2021 के अनुसार राजस्थान में दिनांक 24.05.2021 सोमवार से प्रातः 5 बजे से दिनांक 08.06.2021 मंगलवार प्रातः 5 बजे तक केवल मात्र कुछ ही कार्यालयों को खोले जाने की अनुमति थीं एवं न्यायालय पूर्णतः बंद रखने की जनसूचना जारी की गई थीं। इस सूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस बात को मानकर चल रहा था कि न्यायालय में कार्यवाही नहीं चल रही हैं। दिनांक 10.06.2021 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा एक परिपत्र क्रमांक राम/न्याय/स्था/प–78/2010/3578 दिनांक 10.06.2021 को जारी किया गया। उसके तहत दिनांक 14.06.2021 से राजस्थान के समस्त राजस्व न्यायालयों को इस परिपत्र के अनुसार कार्य करने के आदेश दिये गये। इसके तहत केवल अतिआवश्यक मामले ही सुनने का आदेश दिया गया था। किसी भी मामले में कोई भी आदेश किसी पक्षकार के विरूद्ध पारित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के आदेश के बाद दिनांक 16.06.2021 को तहसीलदार सायला द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश के विपरीत प्राथमिक डिक्री की पालना में मौका देखा गया। जबकि यह कोई आवश्यक प्रकृति के न्यायिक कार्य की परिभाषा में नहीं आता है। तत्पश्चात मौका देखने के बाद दिनांक 16.06.2021 को जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई उसके अनुसार मौके पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अर्थात रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 का कब्जा नहीं हैं। वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 मौके पर उपस्थित नहीं हुआ है। तहसीलदार द्वारा जो प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

भेजा गया, उसमें ए भाग प्रतिवादी अपीलांट का रखा गया तथा बी भाग रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 का रखा गया एवं यह प्रस्ताव दिनांक 16.06.2021 को तैयार कर न्यायालय में भेजे गये तथा इन प्रस्ताव के प्राप्त होते ही उसी दिन डिक्री पारित की गई है तथा एक आपत्ति वकील वादी द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। उस आपत्ति की कोई प्रति वकील प्रतिवादी अर्थात अधिवक्ता रेस्पोंडेंट को नहीं दी गई थीं एवं बिना सुने केवल अभिलेख पर उपस्थिति दर्ज कर तहसीलदार के प्रस्ताव से विपरीत डिक्री पारित कर दी गई तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को जो जमीन दी गई हैं तथा अपीलांट प्रतिवादी का सायला से बागोडा जाने वाले मार्ग पर आना–जाना बिल्कुल रोक दिया गया। इस प्रकार तहसीलदार के प्रस्ताव के विपरीत मनमाने तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा की डिक्री बिना किसी आधार के पारित की गई हैं। तहसीलदार के प्रस्ताव से भिन्न डिक्री पारित करने से पूर्व प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं डिक्री पारित कर दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है।

2. हमनें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त आदेश का अवलोकन किया, जिसके अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किए जाने से पूर्व, पारित किए जाने के दौरान व पश्चात संपूर्ण राजस्थान में कोविड महामारी जनित त्रिस्तरीय लॉकडाउन अस्तित्व में था तथा उक्त अवधि में चिकित्सा, पेयजल, अग्निशमन, रसद एवं नागरिक आपूर्ति जैसी अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त कार्य व शासकीय, गैर–शासकीय/न्यायिक कार्य निर्वहन प्रतिबंधित किया गया था तथा गृह विभाग के आदेश के बिंदु संख्या 3 के अनुसार शेष समस्त कार्यालय बंद रखे जाने के निर्देश जारी किए गए थें।
3. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.06.2021 के अनुसार दिनांक 14.06.2021 से राजस्व न्यायालयों में अत्यावश्यक न्यायिक कार्य निर्वहन हेतु निर्देश पारित किए गए, जिसके बिंदु संख्या 1, 2 व 3 के अनुसार केवल अत्यावश्यक न्यायिक कार्य सूचीबद्ध एवं सुनवाई करने, किसी भी प्रकरण में एक्सपार्टी, डीडी या पक्षकार/अभिभाषकगण की अनुपस्थिति में आदेश पारित नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थें।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मिस्लेनियस एप्लीकेशन नंबर 21/2022, 665/2021 व सुओमोटो रिट पिटीशन संख्या 03/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2022 द्वारा दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 के मध्य की अवधि कोरोना महामारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

जनित लॉकडाउन से प्रभावित व आपातकालीन स्थिति मानते हुए परिसीमा अवधि में गणना करने से छूट दी गई हैं।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 07.06.2021 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 17.01.2025 द्वारा अपास्त किया जा चुका है। अतः उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय की पालना में संपादित समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाही उक्त निर्णय से आबद्ध व आच्छादित होने से प्रभावहीन हो चुकी हैं।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया है व न ही तहसीलदार द्वारा प्रकरण में नियम 18 से 21 की पालना की गई हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा संपूर्ण प्रदेश में कोविड–19 जनित महामारी के कारण जारी त्रिस्तरीय लॉकडाउन व अत्यावश्यक व आपातकालीन सेवाओं व कार्यों को छोड़कर शेष समस्त कार्य न्यायिक कार्य सहित अनुमत नहीं होने के बावजूद जबकि अविभाजित सहखातेदारी भूमि के विभाजन हेतु विचाराधीन वादपत्र में शासन द्वारा प्रतिबंधित अवधि के दौरान अनुमत न होते हुए भी दिनांक 22.02.2021 से प्रकरण में अनावश्यक रूप से शीघ्र सुनवाई आरंभ कर दिनांक 05.04.2021 की तारीख पेशी में जवाब हेतु अंतिम अवसर देकर आगामी तारीख पेशी 07.04.2021 नियत करना, दिनांक 07.04.2021 को जवाब बंद कर देना व आगामी पेशी 12.04.2021 नियत करना व दिनांक 12.04.2021 को काउण्टर क्लेम का जवाब बंद करना व पत्रावली साक्ष्य में दिनांक 16.04.2021 को नियत करना, दिनांक 16.04.2021 को वादी साक्ष्य पेश होने से शामिल पत्रावली का अंकन कर पत्रावली दिनांक 22.04.2021 को प्रतिवादी साक्ष्य में नियत करना, दिनांक 22.04.2021 को प्रतिवादी साक्ष्य उपस्थित नहीं होने से अवसर देकर दिनांक 03.05.2021 में नियत करना, दिनांक 03.05.2021 को प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं होने से अंतिम अवसर देकर दिनांक 04.06.2021 नियत करना, दिनांक 04.06.2021 को प्रतिवादी साक्ष्य बंद करना व वकील अधिवक्ता को प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने पर सुनना का अंकन करते हुए पत्रावली आदेश में दिनांक 07.06.2021 को नियत करना, दिनांक 07.06.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार को पालनार्थ तहरीर जारी कर पत्रावली दिनांक 10.06.2021 को नियत करना, दिनांक 10.06.2021 को पीडी पालना रिपोर्ट अप्राप्त होने से पत्रावली दिनांक 18.06.2021 को नियत करना दिनांक 18.06.2021 को तहसीलदार सायला से पालना रिपोर्ट प्राप्त होने, प्रकरण में वकील वादी द्वारा पालना रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने, आपत्ति पर वकील वादी व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-आलोद

प्रतिवादी को सुनने तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई, के अंकन के साथ पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22.06.2021 को नियत करना तथा आदेशिका दिनांक 22.06.2021 के अनुसार प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। उक्त समस्त कार्यवाही यांत्रिक रूप से उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना प्रदेश में कोविड महामारी के कारण न्यायिक कार्य संपादन अनुमत नहीं होने के बावजूद अप्रत्याशित गति के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यवाही संपादित करना यह जाहिर करता है कि अधीनस्थ न्यायालय की विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्यों के लिए अपेक्षित शुचिता, पारदर्शिता एवं न्यायिक मूल्यों का अनुशीलन नहीं किया है तथा ऐसी परिस्थितियों में संपादित आक्षेपित कार्य किसी भी दृष्टि से न्यायिक कार्य की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

7. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। लिखित बहस में प्रकट कथन व तथ्य प्रकरण में पूर्व विवेचित बिन्दुओं के आलोक में स्वीकार व समर्थन योग्य नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल हस्तक्षेप होने, किसी भी दृष्टि से समर्थन व पुष्टि योग्य नहीं होने, प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री व निर्णय अपास्त कर दिये जाने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने तथा प्रकरण में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री की पालना में वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में हुए परिवर्तन को निरस्त करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2018 बअनवान हबताराम बनाम हेमसिंह वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.06.2021 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आज्ञापक विधिक व प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। अधीनस्थ न्यायालय व संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में प्रकरण में पारित अंतिम डिक्री दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

22.06.2021 की पालना में किए गए समस्त पश्चातवर्ती परिवर्तन इस निर्णय से आच्छादित होने से तथा डिक्री दिनांक 22.06.2021 अपास्त हो जाने से भू–अभिलेख में दिनांक 22.06.2021 के पूर्व की स्थिति बहाल करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **17.01.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

17/01/2025

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली